रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 1999/माघ 7, 1920

No. 35] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 1999/MAGHA 7, 1920

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1999

का. आ. 36(अ).— बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची का और संशोधन करने के लिए प्रस्ताव का एक प्रारूप, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 23 जुलाई, 1998 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 619(अ), तारीख 23 जुलाई, 1998 के अधीन, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन मास की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र 24 जुलाई, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर किया गया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है और यह निर्देश देती है कि ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) भाग क में, मद (7) के पश्चात निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) मोटरगाड़ी वर्कशाप और गैरेज

(9) ढलाई कारखाना

(10) विषैले या ज्वलनशील पदार्थों या विस्फोटकों की उठाई-धराई

(11) हथकरघा और विद्युत चालित करघा उद्योग

(12) खानें (भूमिगत और अन्तर्जलीय) और कोलियरी ;

(13) प्लास्टिक इकाईयां और फाइबर ग्लास कार्यशालाएं",

(ख) भाग ख में,—

(i) मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) कालीन बुनना जिसके अन्तर्गत उसकी प्रारंभिक और आनुषंगिक प्रक्रिया भी है।"

(ii) मद (4) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) कपड़ा छपाई, रंजन और ब्यूतन जिसके अन्तर्गत उसकी प्रारंभिक और आनुषंगिक प्रक्रिया भी है।"

(iii) मद (18) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(19) "अगरबत्ती" विनिमार्ण

(20) आटोमोबाइल मरम्मत और अनुरक्षण जिसके अन्तर्गत उसकी अनुषंगी प्रक्रियाएं भी है जैसे वेल्डिंग, लेथ संकर्म, डेन्ट बीटिंग और पेंटिंग शामिल है।

(21) ईंट भट्टे और खपरैल इकाईयां

(22) सूत कताई और प्रसंस्करण हौजरी माल का उत्पादन

(23) अपम जर्क का विनिर्माण

(24) गढ़ाई वर्कशाप (लौह और अलौह)

(25) रत्न तराशना और पॉलिश करना

(26) क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क की उठाई-धराई

(27) जूट कपड़ा विनिर्माण और कयर बनाना

(28) चूना भट्टा और चूने का विनिर्माण

(29) ताले बनाना

(30) विनिर्माण प्रक्रियाएं, जिनमें सीसा का उद्‌भासन होता है जैसे सीसा लेपित धातु निर्मितियों का प्राथमिक और गौण प्रगलन, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट पोलीविनाइल क्लोराइड की वेल्डिंग, करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेंट की बालू हटाना या खुरचना, तामचीनी वर्कशापों में सीसे का दाहन, खान से सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई मुद्रणालयों में अक्षर की ढलाई भंडार टाइप की मंच-सज्जा, कारों का समंजन, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना।

(31) सीमेंट पाइपों, सीमेंट उत्पादों का विनिर्माण और अन्य संबंधित कार्य।

(32) कांच, कांच के सामान का विनिर्माण जिसके अन्तर्गत चूड़ियां फ्लोरेसेन्ट ट्यूबों, बल्बों और अन्य समान कांच के उत्पादों का विनिर्माण भी है।

(33) रंजक और रंजक द्रव्यों का विनिर्माण।

(34) जीवनाशक और कीटनाशी का विनिर्माण या उनकी उठाई-धराई।

(35) संक्षारक और विषैले पदार्थों के विनिर्माण/प्रसंस्करण; इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में धातु साफ करने, फोटो उत्कीर्णन, तथा टांका लगाने की प्रक्रियाएं।

(36) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का विनिर्माण।

(37) खेलकूद के ऐसे माल की विनिर्माण जिसमें सिंथेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उद्‌भासन अन्तर्वलित है।

(38) फाइबर ग्लास और प्लास्टिक की मोल्डिंग और प्रसंस्करण।

(39) तेल पिराई और परिष्करण।

(40) कागज बनाना।

(41) पौटरी और चीनी मिट्टी उद्योग।

(42) सभी प्रकार के पीतल के माल का विनिर्माण, पॉलिश, ढलाई, कटाई, और वेल्डिंग करना।

(43) कृषि प्रक्रियाएं, जहां फसल की गहराई और कटाई में ट्रैक्टरों और मशीनों का उपयोग किया जाता है और भूसी कटाई।

(44) आरा मिल-सभी प्रक्रियाएं।

(45) रेशम संसाधन।

(46) चमड़ा और उसके उत्पाद बनाने के लिए स्किनिंग, डाईंग और प्रक्रियाएं।

(47) पत्थर तोड़ना और पत्थर कूटना।

(48) तम्बाकू प्रसंस्करण जिसके अन्तर्गत तम्बाकू लेई का विनिर्माण भी है, किसी भी रूप में तम्बाकू की उठाई-धराई।

(49) टायर बनाना, मरम्मत करना, ग्रेफाइट सज्जीकरण।

(50) बर्तनों को बनाना और पॉलिश करना, धातु चिक्कणन।

(51) जरी बनाना (सभी प्रक्रियाएं)।

[फा.सं. एस-27012/3/97-सीएल]

चित्रा चोपड़ा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—यह अनुसूची पूर्व में निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई थी:—

1. भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित का.आ. सं. 404(अ) तारीख 5 जून, 1989
2. भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित का.आ. सं. 263(अ) तारीख 29 मार्च, 1994।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th, January, 1999

S.O. 36(E).— Whereas the draft of the proposal further to amend the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 was published as required by section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 23rd July, 1998 under the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 619(E), dated 23rd July, 1998 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of three months from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 24th July, 1998;

And whereas, the objections or suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act,1986 (61 of 1986), the Central Government, after consultation with the Child Labour Technical Advisory Committee, hereby makes the following amendments further to amend the Schedule to the said Act and directs that they shall come into force on the date of their publication in the official Gazette, namely:-

In the SCHEDULE to the said Act,-

(a) in PART A, after item(7), the following items shall be added, namely:-

" (8) Automobile workshops and garages;
(9) Foundries;
(10) Handling of toxic or inflammable substances or explosives;
(11) Handloom and power loom industry;

(12) Mines (underground and under water) and collieries;
(13) Plastic units and fibreglass workshops";

(b) in PART B,-

(i) for item(2), the following item shall be substituted, namely:-

"(2) carpet weaving including preparatory and incidental process thereof";
(ii) for item (4), the following item shall be substituted, namely;-

"(4) cloth printing, dyeing and weaving including processes preparatory and incidental thereto";

(iii) after item (18), the following items shall be added, namely;-

"(19) 'Aggarbatti' manufacturing.
(20) Automobile repairs and maintenance including processes incidental thereto namely welding, lathe work, dent beating and painting.
(21) Brick Kilns and Roof tiles units.
(22) Cotton ginning and processing and production of hosiery goods.
(23) Detergent manufacturing.
(24) Fabrication workshops (ferrous and non ferrous).
(25) Gem cutting and polishing.
(26) Handling of chromite and manganese ores.
(27) Jute textile manufacture and coir making.
(28) Lime Kilns and Manufacture of Lime.
(29) Lock making.
(30) Manufacturing processes having exposure to lead such as primary and secondary smelting, welding and cutting of lead-painted metal constructions, welding of galvanized or zinc silicate, polyvinyl chloride, mixing (by hand) of crystal glass mass, sanding or scrapping of lead paint, burning of lead in enameling workshops, lead mining, plumbing, cable making, wire patenting, lead casting, type founding in printing shops. Store type setting, assembling of cars, shot making and lead glass blowing .
(31) Manufacture of cement pipes, cement products and other related work.
(32) Manufacturing of glass, glass ware including bangles, florescent tubes, bulbs and other similar glass products.
(33) Manufacture of dyes and dye stuff.
(34) Manufacturing or handling of pesticides and insecticides
(35) Manufacturing or processing and handling of corrosive and toxic substances, metal cleaning and photo engraving and soldering processes in electronic industry
(36) Manufacturing of burning coal and coal briquettes.
(37) Manufacturing of sports goods involving exposure to synthetic materials, chemicals and leather.
(38) Moulding and processing of fibreglass and plastic.
(39) Oil expelling and refinery.

(40) Paper making.
(41) Potteries and ceramic industry.
(42) Polishing, moulding, cutting, welding and manufacture of brass goods in all forms.
(43) Processes in agriculture where tractors, threshing and harvesting machines are used and chaff cutting.
(44) Saw mill – all processes.
(45) Sericulture processing.
(46) Skinning, dying and processes for manufacturing of leather and leather products.
(47) Stone breaking and stone crushing.
(48) Tobacco processing including manufacturing of tobacco, tobacco paste and handling of tobacco in any form.
(49) Tyre making, repairing, re-treading and graphite benefication.
(50) Utensils making, polishing and metal buffing.
(51)' Zari' making (all processes)".

[F.No. S-27012/3/97-CL]

CHITRA CHOPRA, Jt. Secy.

Footnote

The Schedule was earlier amended vide :-

1. S. O. No. 404(E) dated 5th June, 1989 published in Gazette of India, Extraordinary
2. S. O. No. 263 (E) dated 29th March, 1994 published in Gazette of India, Extraordinary

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054